तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :–

श्री भिंयाराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी

श्री रामसुख चौधरी, अभि0 अप्रार्थी संख्या 1 व 2

दिनांकः 13–03–2024

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा प्रकरण संख्या 349 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 06–02–2014 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किए एवं उसी दिन तहसीलदार, मेड़ता को प्रस्तावित मौके का रास्ता देखकर मय नक्शा मौका के कितना रकबा प्रभावित होता है, प्रभावित रास्ते के अलावा नजदीक रास्ता भी प्रस्ताव मय तथ्यात्मक रिपोर्ट व एस.आर. मेड़ता को डी. एल.सी. दर पेश करने हेतु लिखे जाने और पत्रावली दिनांक 01–11–2012 को पेश होने का आदेश पारित किया। आगामी तारीख पेशी पर प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण की ओर से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक नियुक्त हुआ और प्रार्थी की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की उपस्थिति में तहसीलदार मेडता से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता आज भी मौजूद है जो कि ग्राम कलरू से पृथ्वीपुरा आने वाले रास्ता के खसरा नंबर 24 में से होकर खसरा नंबर 23 की दक्षिण माठ में से होते हुए खसरा नंबर 28 के उत्तर मार्ग में से होते हुए खसरा नंबर 36 में से रास्ता मौजूद है और खसरा नंबर 63, जो कि मौकाला से जोरावरपुरा की ढाणी में जाने का रास्ता है और उक्त रास्ते से ना तो अप्रार्थीगण आते जाते हैं एवं ना ही उनका उक्त रास्ते से कोई लिंक है और पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, मेडता के आदेश से जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है, वह तहसीलदार मेडता द्वारा नहीं बनाकर पटवारी हल्का के द्वारा बनायी गई है, जिसमें ना तो प्रार्थी को उस समय सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया एवं केवलमात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की गरज से उसे बनाया गया था। इसलिए प्रार्थी ने पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष दिनांक 01–04–2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर बिना न्यायिक मस्तिष्क लगाये अपने आदेश दिनांक 06–02–2014 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि प्रार्थी द्वारा उनके समक्ष स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया था कि पूर्व की मौका रिपोर्ट प्रार्थी की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है, इसलिए नई मौका रिपोर्ट तलब करना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायोचित है क्योंकि अप्रार्थीगण मौके की स्थिति को परिविर्तत करना चाहते हैं। उक्त कथन से स्पष्ट था कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृत्य किया जाता है तो मौके पर झगड़ा फसाद होने की संभावना प्रबल है। इसके विपरीत यदि उक्त आराजी की मौका रिपोर्ट के माध्यम से वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आती है तो उक्त रिपोर्ट प्रकरण के गुणावगुण में सहायक सिद्ध होगी परन्तु उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत नजरीनक्शे के आधार पर जो मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मोकलपुर ने प्रस्तुत की है जिसमें वैकल्पिक रास्ता आज भी मौजूद है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि अप्रार्थीगण की इच्छा के अनुसार रास्ता घोषित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के कथन के आधार पर विवादित विषय–वस्तु को तय करने व घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अप्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को प्रार्थी द्वारा अस्वीकार किया गया। इसलिए उक्त प्रकरण में बिना साक्ष्य के एवं बिना वस्तुस्थिति के प्रार्थी की अनुपस्थिति में मंगवायी गई मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर के रास्ता कायम नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मोकलपुर के द्वारा बनायी गई है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बने Rajasthan Tenancy (Government) (Amend.) Rules, 2012 के नियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	69 के तहत धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251–ए के प्रार्थना पत्र को निर्णीत करेंगे। यह प्रावधान एक आज्ञापक प्रावधान है जिसकी पालना किया जाना आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उसके कुटुम्बी प्रार्थी की आराजी को खरीदने के इच्छुक हैं और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 से दुरभिसंधि करके प्रार्थी को आराजी को बेचने को मजबूर करने की बदनियती से एवं अप्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि प्रकरण की विषय वस्तु में गंभीर विवाद है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में घोर अवैधानिकता की है। उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व उस आदेश को पारित करने के सम्पूर्ण कारण अपने आदेश में अंकित करने चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय पारित करने का कोई भी ठोस कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है, जो कि एक नॉन–स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित निर्णय दिनांक 06–02–2014 को निरस्त किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौका रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए जावें। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 1998 RBJ 188, 2017 (2) RRT 789, 2019 (2) RRT 1507 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 1995 RRD 730, 731, 732, AIR 1960 SC 100 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किए।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 06–02–2014 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार मेडता को मौका कमिश्नर नियुक्त करने को खारिज किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया था कि पूर्व की मौका रिपोर्ट प्रार्थी की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है, इसलिए नई मौका रिपोर्ट तलब करना न्यायोचित है क्योंकि अप्रार्थीगण मौके की स्थिति को परिविर्तत करना चाहते हैं जिससे मौके पर झगड़ा फसाद होने की प्रबल संभावना है। यदि उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर</u>** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी की मौका रिपोर्ट के माध्यम से वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आती है तो उक्त रिपोर्ट प्रकरण के गुणावगुण में सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई ठोस कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार, मेडता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जो रिपोर्ट दिनांक 30–10–2012 को प्रेषित की गई है, वह पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावित रास्ता का मौका देखकर मय नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार मेडता से मंगवाये जाने के आदेश दिये थे, किन्तु मौका रिपोर्ट तहसीलदार के बजाय पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29–10–2012 को तैयार कर तहसीलदार मेडता को प्रेषित की गई है एवं उक्त रिपोर्ट को तहसीलदार मेडता ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ / 12 / 2897 दिनांक 30–10–2012 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित किया है। इससे तहसीलदार मेडता द्वारा मौके पर जाना प्रकट नहीं होता है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

2019 (2) RRT 1507 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 251-A- Opening of a new way- Revenue Appellate Authority set aside the order allowing new way through the land of the petitioner- BOR reversed the order- No sanctioned way is available to respondent for access to his holdings- In land

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

of Kila No.21 there exist a constructed room- Inspection report was prepared by the Halka Patwari in back of the petitioners- Violation of Rule 69 of the Rules, 1955- No opportunity of hearing given to the petitioners- Held, order set aside and order passed by the Revenue appellate Authority is restored."

2017 (2) RRT 789 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 251- Application allowed to provide new way- Order passed on report of patwari- Site Cannot be inspected by the officer below the rank of I.L.R.- Violation of mandatory provision- Held, Order set aside & case remanded."

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है वह पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनायी गई है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार न कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित किया गया है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। हमारे विनम्र मत में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2014 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 1066 / 2014 / नागौर</u>** **किशनाराम बनाम सीतादेवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, मेडता को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार मेडता से दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	